2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जुगल किशोर माहेश्वरी बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 151/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी जुगलकिशोर माहेश्वरी पता महामंदिर रेलवे स्टेशन के पास, कागा की डांडी, राम मौहल्ला, जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.09.2018 में उसके द्वारा (1) जोधपुर विकस प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा प्रकाशित नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर) की प्रति व अन्य, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय की पत्रावली का अध्ययन किया जिस पर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर कार्यालय से संबंधित होने के कारण उसका प्रार्थना–पत्र विधिक प्रकिया के तहत सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण को जरिये पत्रांक 1610 दिनांक 22.09.18 के स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा सूचनार्थ प्रति प्रार्थी को भी प्रेषित की गई। चूंकि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या एक से संबंधित चाही गई सूचना जोधपुर .विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तथा उनके द्वारा सूचना नहीं दिये जाने पर जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम) से उनके प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता भी पूछा गया जिसके बारे में सूचित नहीं किया गय। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थनापत्र का अंतिम निस्तारण करते समय अपीलीय अधिकारी के बारे में अवश्य अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	